न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरणः 24/2020 GCMS No 2020/00166
दायरा तिथि : 09.12.2020
आदेश तिथि : 28-10-2024

प्रार्थी :–
प्रकाशसिंह पुत्र श्री देवाराम जाति जणवा चौधरी
निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खुडाला–फालना स्टेशन
2. श्री इन्दरचन्द पुत्र वालचन्द छीपा जाति छीपा
   निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–
1. श्री गणपतलाल चौधरी .... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री भरत जे. राठौड .... अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 28-10-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम खुडाला पटवार हल्का, खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 410 रकबा 0.86 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से ग्राम खुडाला स्थित राजस्व भूमि खसरा नंबर 409 रकबा 0.71 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित भू0भाग पर अप्रार्थी इन्दरचन्द पुत्र वालचन्द छीपा निवासी खुडाला द्वारा अवरोध उत्पन्न करने से प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित भू–भाग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थी श्री इन्दरचन्द को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2021/448 दिनांक 12.03.2021 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कीः–

1. यह हैं कि ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 410 रकबा 0.86 हैक्टर किस्म चाही प्रथम,जाव अव्वल की भूमि कानाराम पुत्र दुदा, प्रकाशसिंह पुत्र देवाराम वगैरा जातिगण सिरवी निवासीगण खुडाला तहसील बाली के नाम से संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। खातेदार की धारित संयुक्त खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजुद नहीं हैं।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	409	0.71 हैक्टर	चा.प्र.,जा.प्र. व गै.मु. आबादी .	20X7.50=150 वर्गमीटर	नगरपालिका फालना स्टे. हकाराम, गोविन्द कुमार पुत्र बाबुलाल जातिगण सिरवी निवासीगण खुडाला

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम खुडाला की डी.एल.सी. दर उप पंजीयक बाली से ली जाना अपेक्षित होगी।

4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी भूमि खाली हैं। हाल ही में अप्रार्थी के द्वारा अवरोध पैदा करने हेतु छीणे एवं तारबन्दी कर सी.सी. रोड भी बना हुआ था जिसको तोडकर खुर्द बुर्द किया हुआ हैं। तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मेंसे अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नहीं है।

प्रकरण के चलते भूमि आबादी में स्थित होने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 02.03.2021 से अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खुडाला से भी रिपोर्ट तलब की गई।

(मुहर: न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.))

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण: 24/2020 GCMS No 2020/00166

अनवान प्रकाशसिंह बनाम अधिशाषी अधिकारी नपा. खुडाला फालना स्टे. वगैरा

अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका खुडाला फालना स्टेशन अपने पत्रांक/ न.पा.खु.फा.स्टे./ 2021–22/ 1999 दिनांक 29.07.2021 से निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की:– पटवारी हल्का खुडाला की मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 409 में कृषि भू0खण्ड कटे हुये है जिसमें अधिकतर में मकान बने हुये है एवं कुछ भूखण्ड खाली पडे है। इन भूखण्डों/मकानों मेंसे दो भूखण्ड नगरपालिका खुडाला–फालना स्टेशन के नाम आबादी में दर्ज है। जिसमें एक भूखण्ड का नाप 1485 वर्गफीट हैं, एवं एक भूखण्ड 4499.10 वर्गफीट का शेष सारे भूखण्ड में खातेदारो के नाम है। अब कौनसे दो भूखण्ड नगरपालिका की आबादी में हैं, यह राजस्व नक्शे के आधार पर ज्ञात नहीं होता हैं। जहाँ पर रास्ता चाहा जा रहा है, वह राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 409 में कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं। बाकी खसरा नंबर 409 में कृषि भूखण्ड काट कर बेचे गये हैं उन भूखण्डो का ब्ल्यु प्रिन्ट देखकर ज्ञात किया जा सकता हैं कि रास्ता कहां पर छोडा गया हैं।

तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात् दिनांक 22.03.2021 को अप्रार्थी संख्या–02 इन्दरचन्द की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस राजस्व भूमि खसरा नंबर 409 रकबा 0.71 हैक्टर मेंसे रास्ते की मांग की गई है वह नगरपालिका खुडाला फालना स्टेशन व अन्य से गैर मुमकिन आबादी से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसमें रास्ते के लिए चाही गई भूमि गैर मुमकिन आबादी अप्रार्थीगण व अन्य के खातेदारी में दर्ज होने से यह आवेदन पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं हैं व आबादी भूमि मेंसे रास्ता प्राप्त करने हेतु रास्ते की घोषणा करवाये जाने का दीवानी अधिकार दीवानी न्यायालय को हैं जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानून व विधि के तहत वर्जित होने से एवं खसरा नंबर 409 व 410 के सभी सह खातेदारो का पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थी पक्ष द्वारा करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने खसरा नंबर 409 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव प्रथम के भू–भाग मेंसे रास्ते की मांग धारा 251(ए) कि तहत की है, जो सम्पुर्ण खाता नगरपालिका खुडाला फालना की खातेदारी में गै.मु. आबादी दर्ज नहीं है। उक्त खसरा नंबर 409 कुल रकबा 0.71 हैक्टर मेंसे रकबा 0.5160 हैक्टर चाही प्रथम व 0.14 हैक्टर जाव प्रथम यानि 0.6560 हैक्टर भूमि कृषि भूमि दर्ज है। तथा केवल 0.0540 हैक्टर भू0भाग गै.मु आबादी दर्ज है। जिस भू0 भाग पर नगरपालिका ने सी.सी. रोड बना रखा है जो प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शे में दर्शाया है। इसके अलावा सम्पुर्ण भूमि कृषि भूमि है, जिससे प्रार्थी ने आबादी के रास्ते से, कृषि भूमि खसरा नंबर 409 मेंसे रास्ता की मांग की है। जिस रास्ते के वाद को सुनने का एक मात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को होने से प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) के तहत पेश किया है। अतः अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर खुडाला के खसरा नंबर 409 मेंसे प्रार्थी को उसके खातेदारी भूमि खसरा नंबर 410 तक पहुँच मार्ग/रास्ता दिलाये जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 02.09.2024 से प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 02 खारिज किया गया तथा पत्रावली को मूल प्रार्थना पत्र धारा 251 ए की बहस के लिये रखा गया। प्रकरण बहस के लिये नियत होते हुये अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 10.09.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा वर्णित किया गया है कि प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है। उसमें खसरा नंबर 409 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व गैर मुमकिन आबादी में होकर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर खातेदार नगरपालिका खुडाला फालना स्टेशन व हकाराम गोविन्द कुमार पुत्र बाबुलाल जातिगण सीरवी निवासी खुडाला की खातेदारी नये रास्ते से प्रभावित होगी। जिस पर अप्रार्थी ने नगरपालिका खुडाला फालना स्टेशन के साथ इन्दरचन्द को पक्षकार बनाया है। जबकि इन्दरचन्द के खिलाफ तहसीलदार बाली की रिपोर्ट में कोई आक्षेप इन्दरचन्द के विरूद्ध नहीं लगाया गया है। इसके विपरीत तहसीलदार बाली की रिपोर्ट के अनुसार हकाराम, गोविन्द कुमार पुत्रगण बाबुलाल जातिगण सीरवी निवासीगण खुडाला की भूमि प्रभावित होती है लेकिन इनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रभावित पक्षकार को सुना जाना न्याय प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः हितबद्ध पक्षकार हकाराम वगैरा को पक्षकार बनाये जाने की दलील दी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करने तथा मूल प्रार्थना पत्र बहस के लिये नियत होने से सीपीसी के प्रार्थना पत्र व मूल धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी ने प्रार्थना पत्र धारा 251 ए में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थी की धारित भूमि ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 410 रकबा 0.86 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण: 24/2020 GCMS No 2020/00166
अनवान प्रकाशसिंह बनाम अधिशाषी अधिकारी नपा. खुडाला फालना स्टे. वगैरा
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिससे प्रार्थी ने खुडाला स्थित राजस्व भूमि खसरा नंबर 409 रकबा 0.71 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित भू–भाग जिस पर मौजुदा में सीसी रोड बना हुआ है। वकील प्रार्थी ने जाहिर किया है कि निरीक्षक भू–अभिलेख खुडाला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में स्पष्ट है कि प्रार्थी की सम्मिलित खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु सी.सी. रोड भी बना हुआ है जिसको तोडकर अप्रार्थी इन्दरचंद पुत्र वालचंद के द्वारा रूकावट हाल ही में पैदा की गई है। इस रास्ते से प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नये मार्ग की मांग की है। जिस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये लगभग चार साढे तीन वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो चुकी है तथा प्रकरण में तहसीलदार बाली से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। धारा 251 ए में विधि के प्रावधानों अनुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात निकटतम मार्ग से नया रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के आदेश पारित कर सकता है। रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात प्रकरण को अनावश्यक डिले करने के उददेश्य से अप्रार्थी द्वारा पूर्व में भी प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने दिनांक 02.09.2024 को खारिज कर दिया है तथा अब पुनः प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश कर हकाराम गोविन्द कुमार पुत्र बाबुलाल को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने की दलील दी गई है। आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार हितबद्ध पक्ष प्रभावित होने पर स्वयं की ओर से पक्षकार बनने हेतु आवेदन कर सकता है, परंतु उक्त प्रकरण में हकाराम वगैरा द्वारा किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावें। तथा प्रार्थी द्वारा रास्ते के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित रूट एंव तहसीलदार बाली की प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नया रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये जाने की दलील दी। अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड ने बहस में वकील प्रार्थी की दलीलों का खंडन करते हुये दलील दी गई कि प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इसके साथ ही वकील अप्रार्थी द्वारा दलील दी गई कि प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु आवेदित भूमि व प्रस्तावित भूमि आबादी भूमि होने से धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में जाहिर हैं कि प्रार्थी प्रकाशसिंह द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 410 रकबा 0.86 हैक्टर में आवागमन के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं होने से ग्राम खुडाला स्थित भूमि खसरा नंबर 409 रकबा 0.71 हैक्टर मेंसे नवीन रेकर्डेड रास्ता धारा 251(ए) के तहत उपलब्ध कराये जाने की मांग गई है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से यह बखूबी प्रमाणित हैं कि खसरा नंबर 409 रकबा 0.71 हैक्टर के मूल खातेदारो द्वारा आवासीय प्लॉन बनाते हुये बिना भू0 उपयोग परिवर्तन कराये कृषि भूखण्डो के रूप में कई लोगों को बेचान किये गये है, जिन बेचाननामो के आधार पर कुल 23 खरीददकर्ता बतौर सह खातेदार अधिकार अभिलेखों में दर्ज है। इस सबंध में नगरपालिका खुडाला फालना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दो भूखण्ड (1485+ 4499.10)=5984.10 वर्गमीटर के पट्टे जारी होने से आबादी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा रास्ता मौके पर मौजुद सी.सी. रोड से चाहा गया है, जिस सी.सी. रोड को अप्रार्थी इन्दरचन्द द्वारा तोडकर रास्ता बन्द किया, में से प्रार्थी ने अपने आवागमन हेतु रास्ता की मांग की है। आवेदित भूमि आबादी परिवर्तन शुदा है अथवा कृषि भूमि इसका खुलासा न तो तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट से हुआ है एवं न ही अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका की रिपोर्ट से हुआ है। इसके साथ ही प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि में आवागमन के लिये उक्त सी.सी. रोड के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। विद्वान वकील अप्रार्थी की उक्त दलील मानने योग्य नहीं है कि प्रार्थी द्वारा रास्ते के लिये आवेदित भूमि आबादी भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 409 रकबा 0.71 हैक्टर में से मात्र 0.0540 हैक्टर ही गैर मुमकिन आबादी दर्ज है एंव शेष भूमि खातेदारी भूमि दर्ज है। जिसकी पुष्टि नगरपालिका खुडाला फालना की रिपोर्ट से भी होती है। इसके साथ ही प्रस्तावित रास्ता आबादी भूमि से है अथवा कृषि भूमि से, इस तथ्य का खुलासा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका खुडाला फालना भी अपनी रिपोर्ट में नहीं कर पाये है जबकि निरीक्षक भू–अभिलेख खुडाला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में स्पष्ट है कि प्रार्थी की सम्मिलित खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु सी.सी. रोड भी बना हुआ है जिसको तोडकर अप्रार्थी इन्दरचंद पुत्र वालचंद के द्वारा रूकावट हाल ही में पैदा की गई है। इसलिये प्रकरण में प्रार्थी द्वारा इन्दरचंद को ही पक्षकार बनाया है। जिससे प्रार्थी के आवेदन अनुसार तहसीलदार बाली की

न्यायालय उप-खण्ड ... जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार......04

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरणः 24/2020 GCMS No 2020/00166
अनवान प्रकाशसिंह बनाम अधिशाषी अधिकारी नपा. खुडाला फालना स्टे. वगैरा
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार नवीन रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत है तथा अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रकरण को लंबा करने की नियत से प्रस्तुत करना होने से खारिज किया जाता है।

उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रमाणित है कि प्रार्थी की धारित सहखातेदारी भूमि ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 410 रकबा 0.8600 हैक्टर में आवागमन के लिये कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विधिक प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध न होने तथा रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने की दशा में निकटतम मार्ग से नया रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाया जाना होता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बाली की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। जिससे प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित मार्ग से नया रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ग्राम खुडाला पटवार हल्का खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 410 रकबा 0.8600 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम खुडाला पटवार हल्का खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 409 रकबा 0.7100 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल में से तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक राजस्व/2021/448 दिनांक 12.03.2021 से प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित मार्ग से **20x7.5=150 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 4235142/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
409	0.7100 हैक्टर	20X7.5=150 वर्गमीटर	423	63450X2=126900	नगरपालिका फालना स्टे. हकाराम, गोविन्द कुमार पुत्र बाबुलाल जातिगण सिरवी निवासीगण खुडाला

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 126900/– (अक्षरे एक लाख छब्बीस हजार नौ सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. खुडाला द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(विमलेश शिशोदे)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली

क्रमांक/कोर्ट/2024/2207-2212
दिनांक : 29/10/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित, मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका खुडाला–फालना को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
4. पटवारी हल्का, खुडाला
5. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
6. आवेदक श्री प्रकाशसिंह पुत्र देवाराम जाति जणवा चौधरी निवासी खुडाला तहसील बाली राज. को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

प्रभावित होगा।

3. प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल वर्गमीटर में
लम्बाई x चौड़ाई निम्न है ख.नं. 409 में रास्ता
लम्बाई 20 मीटर x चौड़ाई 7.50 मीटर एवं कुल
क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर है

4. प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर निम्न है

जो श्रीमानजी के अवलोकनार्थ उक्त रास्ते के अन्दर नुकसान
वृक्ष एवं निर्माण कार्य कोई नहीं है भूमि खाली है
हाल ही में प्रार्थी द्वारा अवरोध पैदा
करने हेतु सिर्फ एक इसकी तारबन्दी कर CCA रोड
को अवरुद्ध किया हुआ है। अतः पटवार रिपोर्ट प्रेषित कर
निवेदन है कि रास्ता इन्द्राज किया जाना उचित है।

Ex-Court

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

नजरी नक्शा ख.नं. 409

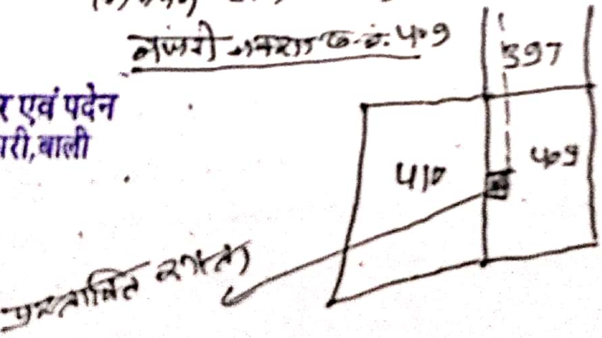

राजेन्द्र सिंह
भू.अ.नि. मुकाम
17/2/2021